By Ruci

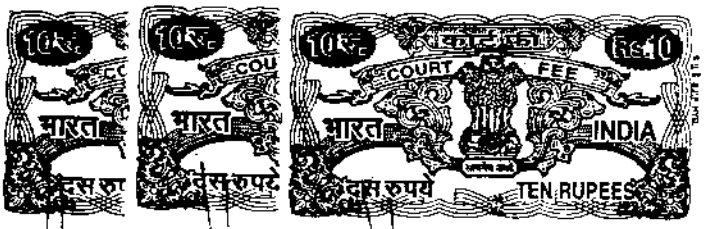

प्र.क. निगरानी / 2013

प्रस्तुती दिनांक : 21 / 11 / 2013

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प, इन्दौर

R - 4553 - II/13

भारत पिता बद्रीलाल जाट,
निवासी – ग्राम उड़ाना तहसील उज्जैन
जिला उज्जैन म.प्र.

—— निगरानीकर्ता / प्रार्थी

श्री रुचिर पाराशर
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 21-11-2013
को प्रस्तुत

864/21-11-2013

विरूद्ध

1. बाबूलाल पिता खुमाजी
2. प्यारेलाल पिता खुमाजी
3. मोहनलाल पिता खुमाजी
4. मुन्नालाल पिता हेमराज
5. कल्लू पिता हेमराज
6. हितेश पिता रायपाल

उपरोक्त क. 1 लगभग 6 सभी निवासी
ग्राम चिमली तहसील सांवेर
जिला इन्दौर म.प्र.

—— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959

सम्माननीय महोदय,

माननीय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर के द्वारा उनके न्यायालयीन प्रकरण क. 508 अपील / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2013 के विरूद्ध यह निगरानी माननीय न्यायालय में नियत समयावधि में प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 4553–II / 2013 जिला [redacted] इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–5–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 25–9–2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में सीमांकन रिपोर्ट, फील्ड बुक, एवं पंचनामा पर विचार कर ही अंतिम आदेश पारित किया गया है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सीमाकंन किये जाने के संबंध में राजस्व निरीक्षक से सीमाकंन रिपोर्ट, पंचनामा एवं फील्ड बुक का रिकार्ड के अवलोकन करने के पश्चात ही आदेश पारित किया गया है, जो कि वैधानिक आदेश है और उसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	